फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री हेमन्त रावल
निवासी जावाल
तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 21 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव जावाल में हरजी चौराहा रोड पर रखे केबिन को हटाने की कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्धित कौन जिम्मेदार है एवं उसके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में कानूनी नोटिस कौन जारी करेगा। यदि नोटिस जारी किया गया है, तो उसकी प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव जावाल में हरजी चौराहा रोड पर रखे केबिन को हटाने की कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्धित कौन जिम्मेदार है एवं उसके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में कानूनी नोटिस कौन जारी करेगा। यदि नोटिस जारी किया गया है, तो उसकी प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./2025/159 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	